न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

(1) अपील संख्याः—276 / 2017 / 223 (2017 / 00276)

1. अन्नासिंह पुत्र घीसासिंह जाति रावत, नि0 ग्राम मदारपुरा, तहसील व जिला अजमेर ।
2. बुद्धा पुत्र स्व0 घीसासिंह रावत, (मृतक) जरिये वारिसानः—
   2 / 1— चन्दनसिंह पुत्र बुद्धासिंह (मृतक) जरिये वारिसानः—
   2 / 1 / 1—श्रीमती झूमी पत्नि स्व0चन्दनसिंह,
   2 / 1 / 2—जितेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 चन्दनसिंह,
   2 / 1 / 3—महेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 चन्दनसिंह,
   2 / 1 / 4—कान्ता पुत्री स्व0 चन्दनसिंह,
   2 / 2— मक्खनसिंह पुत्र स्व0 बुद्धासिंह,
   2 / 3— दुर्गासिंहस पुत्र स्व0 बुद्धासिंह,
   2 / 4— जयसिंह पुत्रस्व0 बुद्धासिंह,
   2 / 5— पप्पूसिंह पुत्र स्व0 बुद्धासिंह,
   2 / 6— रणवीर सिंह पुत्र स्व0 बुद्धासिंह,
   2 / 7— श्रीमती धन्नी पत्नी स्व0 बुद्धासिंह, (मृतक) जरिये वारिसानः—
   2 / 7 / 1—श्रीमती अनिता पत्नि बाबूलाल पुत्री बुद्धासिंह रावत, निवासी माखुपुरा, तह0 अजमेर ।
   2 / 7 / 2—श्रीमती गीता पत्नि हरचंद, पुत्री बुद्धासिंह रावत, निवासी काजीपुरा—बोराज, तह0 व जिला अजमेर ।
   2 / 7 / 3—श्रीमती सुनिता पत्नि हनुमानसिंह पुत्री बुद्धासिंह रावत, नि0 बूबानी, तहसील व जिला अजमेर ।
   2 / 7 / 4—मुकेश पुत्र श्रीमती इंद्रा पत्नि शैतानसिंह, दोहिता बुद्धासिंह रावत,
   2 / 7 / 5—सुमेर पुत्र श्रीमती इंद्रा पत्नि शैतानसिंह, दोहिता बुद्धासिंह,
   2 / 7 / 6 सीमा पुत्री इंद्रा पत्नि शैतानसिंह, दोहिती बुद्धासिंह रावत, समस्त जाति रावत, नि0 ग्राम बुबानी, तह0 व जिला अजमेर

अपीलांटस

बनाम

1. त्रिलोकसिंह पुत्र घीसासिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम मदारपुरा, तहसील व जिला अजमेर ।
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर, दिनांक 29.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 49 / 2012 .

उपस्थितः—

1. श्री एन0के0 जैन एवं श्री जसराज जयपाल, वकील अपीलांटस ।
2. श्री दिलीपसिंह, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 2.

(1) अपील संख्याः–272/2018/223 (2018/00272)

1. त्रिलोक सिंह पुत्र घीसासिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम मदारपुरा, तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. अन्नासिंह पुत्र घीसासिंह,
2. श्रीमती झूमी पत्नि चन्दनसिंह,
3. जितेन्द्रसिंह पुत्र चन्दनसिंह,
4. महेन्द्रसिंह पुत्र चन्दनसिंह,
5. कान्ता पुत्री चन्दनसिंह,
6. मक्खनसिंह पुत्र बुद्धासिंह,
7. दुर्गासिंह पुत्र बुद्धासिंह,
8. जयसिंह पुत्र बुद्धासिंह,
9. पप्पूसिंह पुत्र बुद्धासिंह,
10. रणवीर सिंह पुत्र बुद्धासिंह,
11. श्रीमती धन्नी बेवा बुद्धासिंह (मृतक) जरिये वारिसानः–
    11/1– श्रीमती अनिता पुत्री बुद्धासिंह पत्नि बाबूसिंह, जाति रावत, नि0 माखुपुरा, तह0 व जिला अजमेर ।
    11/2– श्रीमती गीता पुत्री बुद्धासिंह पत्नि हरचंद, जाति रावत, निवासी काजीपुरा, तह0 व जिला अजमेर ।
    11/3– श्रीमती सुनीता पुत्री बुद्धासिंह पत्नि हनुमानसिंह, जाति रावत, निवासी बुबानी, तह0 व जिला अजमेर ।
    11/4– इन्द्रा पुत्री बुद्धासिंह पत्नि शैतानसिंह (मृतक)जरिये वारिसानः–
    11/4/1–मुकूेश पुत्र शैतानसिंह,
    11/4/2–सुमेरसिंह पुत्र शैतानसिंह,
    11/4/3–सीमा पुत्री शैतानसिंह,
    समस्त जाति रावत, निवासी बुबानी, तह0 व जिला अजमेर ।
12. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर, दिनांक 29.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 49/2012 .

उपस्थितः–

1. श्री दिलीप सिंह राठौड़, वकील अपीलांट ।
2. श्री निर्मल कुमार जैन एवं श्री जसराज जयपाल, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 5 एवं 7 से 10.
3. रेस्पो0 संख्या 6 स्वंय उपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 12.

निर्णय

दिनांकः– 11.9.2019

1. यह दोनों अपीलें विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.6.2016 के विरूद्ध अलग–अलग प्रस्तुत की गई है ।

2. संक्षेप में दोनों प्रकरणों के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट त्रिलोकसिंह ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि थोक मालियान में रेग्यूलेशन 1877 रेग्यलेशन नंबर 2 1877 की धारा 8 के अंतर्गत दिनांक 27.6.1957 को किया गया जिसके अनुसार नारायण पुत्र मंगला माली के हिस्से में अन्य आराजियात के अलावा आराजी बर 4518/2 रकबा 18 बीघा 18 बस्वा 6 बिस्वांसी भूमि आई थी । नारायण पुत्र मंगला से जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 9.9.1959 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 9.9.1959 को वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने क्रय कर कब्जा संभाल लिया था । उक्त खसरा नंबर 4518/2 के चालीस साला बंदोबस्त संवत् 1339 से (41–42) में नये खसरा नंबर 4845, 4847 बने है । वादी त्रिलोकसिंह व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के वारिसान एक दो वर्ष तक शामलात काश्त करते रहे, उक्त समय विवादित आराजी पर केवल 1–2 बीघा पर ही काश्त होती थी बाकी भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण के पशु चरते थे । प्रतिादीगण नंबर 1 व 2 जो कि वादी के सगे भाई थे जिनमें आपस में पारिवारिक झगड़ा हो गया जिससे प्रतिवादीगण ने नाराज होकर मुझ वादी को अलग कर दिया । ग्राम थोक मालियान अजमेर की आराजी खसरा नंबर पुराना 4518/2 रकबा 18–18–6 के हाल खसरा नंबर 4846 रकबा 18–5–00, खसरा नंबर 4844 रकबा 4 बीघा बने है । सजरे के अनुसार वादी आज तक काबिज है तथा विभिन्न न्यायालयों से उक्त आराजी बाबत् वादी ने सभी मुकदमें लड़े एवं उनका अंतिम निर्धारण होने पर उक्त आराजियात वादी के नाम दर्ज करने के आदेश विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर ने दिनांक 22.5.2002 को पारित किये है । दिनांक 31.1.1980 को जिला कलक्टर ने नगरसुधार न्यास, अजमेर के नाम नामांतकरण दर्ज कर दिया थ जिसकी जानकारी वादी को होने पर प्रतिवादी संख्या 2 को बताया कि जो आपने मुझे जमीन दी थी वह नगर सुधार न्यास, अजमेर के नाम हो गई है । बड़ भाई बुद्धा की मृत्यु करीब 7–8 वर्ष पूर्व हो गई तथा उसके वारिसान प्रतिवादील नंबर एक की नियत खराब होने से वह वादी को उक्त आराजियात से बेदखल करने पर आमादा है । अतः वादी को खसरा नंबर 4846 रकबा 18–5–0 व खसरा नंबर 4844 रकबा 4 बीघा खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ।

3. वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण ने जवाब प्रस्तुत कर वाद कथनों से इंकार किया तथा काउण्टर क्लेम पेश किया । अधी0न्याया0 ने प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखकर दिनांक 29.6.2016 को पारित कर वादी त्रिलोकसिंह का वाद एवं प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम को निरस्त करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर वादी/अपीलांट त्रिलोकसिंह ने अपील संख्या 272/2018 (2018/00272) एवं प्रतिवादीगण/अपीलांटस ने अपील संख्या 276/2017 (2017/00276) अलग–अलग दो अपीलें इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

4. दोनों अपीलें एक ही निर्णय व डिक्री के विरूद्ध होने तथा दोनों अपीलों में पक्षकार, विवादित भूमि तथा कानूनी बिन्दू समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है । निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक संधारित की जावे ।

5. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

6. अपील संख्या 276/2017 (2017/00276) बउनवान अन्नासिंह बनाम त्रिलोकसिंह के विद्वान अभिभाषक अपीलांटस श्री निर्मल कुमार जैन एवं

श्री जसराज जयपाल ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष अजमेर थोक मालियान शामलात थोक मालियान अजमेर तीस साला खसरा नंबर 4518/2 रकबा 18–18–06 की भूमि कि जिसके हाल खसरा नंबर 4846 है कि जिसे अन्नासिंह, बुद्धासिंह एवं त्रिलोक सिंह पुत्रगण घीसा के द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 9.9.1959 को क्रय किया गया था एवं चौसाला खसरा संख्या 4844 रकबा 4 बीघा की भूमि भी अन्नासंह सिंह, बुद्धासिंह व त्रिलोकसिंह पुत्रगण घीसा की नियमनशुदा खातेदारी की भूमि थी जिसके संबंध में वादी त्रिलोकसिंह/रेस्पो0 संख्या 1 के द्वारा गलत कथनों के आधार पर संपूर्ण विवादित भूमि को वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का खातेदार घोषित करने हेतु जो वाद प्रस्तुत किया गया था । वादी त्रिलोकसिंह के उक्त के विरूद्ध अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि विवादित भूमि जो कि अन्नासिंह, बुद्धासिंह व त्रिलोकसिंह पुत्रगण घीसा की संयुक्त रूप से खरीदशुदा खातेदारी भूमि खसरा नंबर 4518/2 रकबा 18–18–6 बीघा है एवं चौसाला खसरा नंबर 4844 रकबा 4 बीघा की भूमि अन्नासिंह, बुद्धासिंह, त्रिलोकसिंह की नियमनशुदा खातेदारी की भूमि है जिसका मय मीट्स एवं बाउण्डस के सहित बंटवारा कर खातेदार राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे तथा यह भी कथन किया कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 त्रिलोकसिंह द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया जिस पर काउन्टर क्लेम का जवाबदावा दिनांक 27.6.2008 को बंद कर दिया गया था । अधी0न्याया0 में विवाद बिन्दू कायम किये गये थे कि किन्तु अधी0न्याया0 ने अपीलांटस का काउन्टर क्लेम इस आधार पर निरस्त किया कि प्रतिवादीगण पृथक से बंटवारा वाद लाने हेतु स्वतंत्र है जो कि विधिविरूद्ध है जबकि अधी0न्याया0 को प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार करना चाहिये था । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि राजस्व अधिकारियों के द्वारा अपीलांटस अन्नासिंह एवं बुद्धासिंह व रेस्पो0 संख्या 1 त्रिलोकसिंह को बिना सूचित किये नामांतकरण संख्या 39 दिनांक 31.1.1980 को नगर सुधार न्यास, अजमेर के नाम गलत रूप से स्वीकृत किया इस संदर्भ में न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर के समक्ष अपील संख्या 28/2008 बुद्धासिंह व अन्य बनाम नगर सुधार न्यास, अजमेर व अन्य प्रस्तुत की थी जिस पर निर्णय दिनांक 22.5.2002 के अनुसार अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में नामांतकरण संख्या 39 को निरस्त किया गया है एवं तहसीलदार, अजमेर को यह आदेश दिये कि अपीलाधीन भूमि का नामांतकरण बुद्धा पुत्र घीसा के वारिसान व अन्नासिंह व त्रिलोकसिंह के नाम स्वीकृत किया जावे । उक्त आदेश के विरूद्ध मान0 मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 12.12.2007 के द्वारा स्वीकार की जाकर प्रकरण अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर को प्रतिप्रेषित किया गया । विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर ने पुनः निर्णय दिनांक 30.4.2010 पारित कर अपने पूर्व निर्णय दिनांक 22.5.2002 को यथावत् रखा इस प्रकार विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर के निर्णय दिनांक 22.5.2002 एवं 30.4.2010 के अनुसार अपीलाधीन भूमि अन्नासिंह, बुद्धासिंह व त्रिलोकसिंह की ही मानकर तहसीलदार, अजमेर को नामांतकरण आदेश पारित किये जाने चाहिये थे । विवादित भूमि अन्नासिंह, बुद्धासिंह, त्रिलोकसिंह की संयुक्त सहहिस्सेदार खातेदारी एवं संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 के निर्णय अनुसार अपीलाधीन भूमि चौसाला खसरा नंबर 4846 रकबा 18–5–00 अन्नासिंह, बुद्धासिंह व त्रिलोकसिंह की क्रयशुदा एव काबिज होना माना है एवं खसरा नंबर 4846 पर भी संयुक्त रूप से काबिज होना माना है

इसके बावजूद अधी0न्याय0 ने तनकी संख्या 1, 2 व 3 का निर्णय काउन्टर क्लेमकर्ता के पक्ष में करने के बावजूद काउन्टर क्लेम खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस/प्रतिवादीगण स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 29.6.2016 काउन्टर क्लेम की हद तक दिये निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावे तथा तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित शेष निर्णय व डिक्री को यथावत् रखते हुए अपीलाधीन भूमि का न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त, अजमेर के द्वारा पारित निर्णय अपील संख्या 28/2006 बुद्धासिंह व अन्य बनाम नगर सुधार न्यास, अजमेर व राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर की अपील में पारित निर्णय दिनांक 30.4.2010 की पालना में राजस्व अभिलेख में श्री अन्नासिंह पुत्र घीसासिंह एवं बुद्धासिंह पुत्र धीसासिंह के वारिसान अपीलांटस संख्या 2/1 से 2/6 एवं 2/7/1 से 2/7/6 तथा त्रिलोक सिंह पुत्र घीसासिंह के नाम राजस्व अभिलेख में बहिस्सा बराबर 1/3, 1/3 हिस्सा दर्ज किया जाकर विधिक बंटवारा मीट्स एण्ड बाउण्डस के सहित करवाया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 2010 पेज 748 हाई कोर्ट प्रस्तुत की।

7. अपील संख्या 276/2017 (2017/00276) के विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांटस के अधिवक्ता द्वारा नहीं दी गई बल्कि अपीलांट अन्नासिंह द्वारा उनके अधिवक्ता से दिनांक 26.10.2017 को संपर्क करने पर दिनांक 27.10.2017 को बताया कि उनके प्रकरण में दिनांक 29.6.2016 को निर्णय पारित हो चुका है । तत्पश्चात् अपीलांट/प्रतिवादी ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

8. अपील संख्या 276/2017 (2017/00276) के विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपील जवाब बहस में कथन किया कि संपूर्ण अपीलाधीन भूमि रेस्पो0 संख्या 1 व हिस्से की है तथा उसका कब्जा है क्योंकि रेस्पो0 संख्या 1 व अपीलांटस चाचा एवं ताऊ के लड़के होकर एक ही परिवार के सदस्य है तथा इन्हें पारिवारिक विभाजन के तहत अलग से संपति दे दी गई है । इस कारण अपीलाधीन भूमि में अपीलांटस का कोई हक अधिकार नहीं है । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपीलांटस/प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम विधिसम्मत् रूप से खारिज कर बंटवारे हेतु अलग से वाद पेश करने के निर्देश दिये है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

9. अपील संख्या 272/2018 (2018/00272) बउनवान त्रिलोकसिंह बनाम अन्नासिंह अपीलांट/वादी के विद्वान अभिभाषक श्री दिलीपसिंह राठौड़ ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यो की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री अपीलांट को विधिवत् नोटिस दिये बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये सरसरी तौर पर पारित किये जाने से निरस्त योग्य है । विवादित भूमि खसरा नंबर 4518/2 रकबा 18–18–6 नारायण पुत्र मंगला से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 9.9. 1959 को वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने क्रय की थी जिसके चालीस साला बंदोबस्त संवत् 1339 फसली में नये खसरा नंबर 4845, 4846 व 4847 बने है । रकबा 1–2 बीघा भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 शामलात काश्त करते थे तथा शेष भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण के पशु चरते थे । आपस में पारिवारिक झगड़ा होने पर प्रतिवादीगण ने वादी/अपीलांट को अलग कर दिया किन्तु अपीलांट/वादी विवादित आराजी का सहखातेदार होकर मौके पर

काबिज काश्त चला आ रहा है । वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आपस में सगे भाई है तथा संयुक्त रूप से काबिज काश्त है । विवादित आराजियात बाबत् अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर ने निर्णय दिनांक 22.5.2002 को पारित कर विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करने के आदेश तहसीलदार, अजमेर को दिये थे किन्तु अधी0न्याया0 ने उक्त सभी तथ्यो को नजरअंदाज कर वादी का वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं कानूनी प्रावधानों का विवेचन नहीं कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित करने में भूल की है । अतः अपील अपीलांट/वादी स्वीकार अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 29.6.2016 निरस्त किया जावे तथा वादी के वाद को डिक्री किया जावे ।

10. अपील संख्या 272/2018 (2018/00272) बउनवान त्रिलोकसिंह बनाम अन्नासिंह अपीलांट/वादी के विद्वान अभिभाषक ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 में नियुक्त अधिवक्ता ने निर्णय व डिक्री की जानकारी जरिये पत्र प्रेषित की थी किन्तु उक्त पत्र अपीलांट/वादी को प्राप्त नहीं हुआ । तत्पश्चात् अपीलांट/वादी ने अपने अधिवक्ता से संपर्क किया तो जानकारी हुई कि वाद का निर्णय दिनांक 29.6.2016 को हो चुका है तत्पश्चात् अपीलांट ने अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर अविलंब यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

11. अपील संख्या 272/2018 (2018/00272) बउनवान त्रिलोकसिंह बनाम अन्नासिंह में विद्वान वकील रेस्पो0 श्री निर्मल कुमार जैन एवं श्री जसराज जयपाल ने जवाब बहस में कथन किया कि अपीलांट स्वंय इस तथ्य को स्वीकार करते है कि अपीलाधीन भूमि पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 27.6.1957 से जिसका पंजीयन दिनांक 9.9.1959 को किया गया से पूर्व खातेदार नारायण पुत्र मंगला से जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र अन्नासिंह, त्रिलोकसिंह व बुद्धासिंह पि0 घीसा के द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया । तत्पश्चात् भूमि गलत रूप से नगर सुधार न्यास, अजमेर के नाम दर्ज करने पर तीनों भाईयों अन्नासिंह, त्रिलोकसिंह पि0 घीसा व बुद्धासिंह के वारिसान के द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष अपील संख्या 74/2000 बउनवान बुद्धासिंह व अन्य बनाम नगर सुधार न्यास, अजमेर व अन्य प्रस्तुत की गई जिसे विद्वान अति0 संभागीय आयुक्त, अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 22.5.2002 को स्वीकार कर अपीलाधीन भूमियों में तीनों अपीलांटस का मालिकाना हक व पुराना कब्जा होना साबित मानकर नगर सुधार न्यास, अजमेर के पक्ष में पारित नामांतकरण संख्या 39 दिनांक 31.1.1980 को निरस्त किया एवं तहसीलदार, अजमेर को तीनों अपीलांटस के नाम अपीलाधीन भूमि का नामांतकरण तस्दीक करने के आदेश दिये । इस आदेश के विरूद्ध नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा मान0 राजस्व मण्डल में निगरानी याचिक पेश की गई जो मान0 राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 12.12.2007 को निगरानी स्वीकार कर पुनः प्रकरण अति0 संभागीय आयुक्त, अजमेर को प्रतिप्रेषित किया गया । तत्पश्चात् विद्वान अति0 संभागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष बुद्धासिंह के वारिसान एवं अन्नासिंह एव त्रिलोकसिंह के द्वारा संयुक्त रूप से अपील में चाराजोही कर कथन किया कि अपीलाधीन भूमियां बुद्धासिंह, त्रिलोक व अन्नासिंह की संयुक्त रूप से क्रयशुदा भूमि होकर संयुक्त कब्जे काश्त की भूमियां है । न्यायालय द्वारा दिनांक 30.4.2010 को यह आदेशित किया कि न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.5.2002 यथावत् कायम रखा जाता है । यह निर्णय आज भी प्रभाव में है एवं स्वंय अपीलांटस द्वारा अपने अपील मीमों

में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अपीलाधीन भूमियां तीनों भाईयों अन्नासिंह, बुद्धासिंह एवं त्रिलोकसिंह की पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रयशुदा भूमियां है साथ यह भी स्वीकार किया कि अति0संभागीय आयुक्त, अजमेर ने तीनों भाईयों का मालिकाना हक व पुराना कब्जा मानते हुए तीनों भाईयों के नाम अपीलाधीन भूमियां दर्ज करने के आदेश दिये है । अधी0न्याया0 द्वारा वादी त्रिलोकसिंह का वाद सही तौर से खारिज किया गया है किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम को गलत रूप से निरस्त कर अलग से वाद पेश करने के निर्देश दिये है जो निरस्तनीय है। इस संबंध में प्रतिवादी द्वारा अलग से अपील संख्या 276/2017 (2017/00276) बउनवान अन्नासिंह बनाम त्रिलोकसिंह हाजा न्यायालय के समक्ष पेश की गई है ।

12. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ।

13. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत दोनों प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । दोनों अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र मे विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । वैसे भी मियाद के बिन्दु पर किसी भी प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है । अतः न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः दोनों अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 न्यायहित में स्वीकार किये जाते है तथा दोनों अपील अपीलांटस अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

14. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोक किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तीस साला खसरा नंबर 4518/2 रकबा 18–18–06 की भूमि जिसके चौसाला खसरा नंबर 4846 की भूमि अन्नासिंह, बुद्धासिंह, त्रिलोकसिंह पुत्रगण घीसा द्वारा संयुक्त रूप से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 9.9.1959 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया एवं खसरा नंबर 4844 रकबा 4 बीघा भूमि अन्नासिंह, बुद्धासिंह, त्रिलोकसिंह पुत्रगण घीसा की नियमनशुदा खातेदारी भूमियां है । यह दोनों पक्ष अपीलांटस व रेस्पो0 दोनों ही अपीलों में स्वीकार करते है तथा यह भी स्वीकार करते है कि न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर अपील संख्या 74/2000 जिसमें अपीलांटस संख्या 1 बुद्धासिंह के वारिसान , अपीलांट संख्या 2 अन्नासिंह, अपीलांट संख्या 3 त्रिलोकसिंह रहे जिनके द्वारा संयुक्त रूप से अपील नगर सुधार न्यास, अजमेर एवं सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत की जिसमें विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा मौका पर्चा रिपोर्ट तलब की गई एवं दिनांक 22.5.2002 को अपील स्वीकार करते हुए नामांतकरण संख्या 39 दिनांक 3.1.1980 को अपीलाधीन भूमि के खसरा नंबर की हद तक निरस्त करते हुए तीनों ही अपीलांटस के पक्ष में नामांतकरण स्वीकृत किये जाने हेतु तहसीलदार, अजमेर को आदेश पारित किये । यह आदेश पुनः प्रतिप्रेषित अपील में भी न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा अपील संख्या 28/2008 दिनांक 30.4.2010 मे भी पूर्व आदेश दिनांक 22.5.2002 को यथावत् रखा गया है । इस प्रकार अपीलाधीन भूमि के अपीलांटस एवं रेस्पो0 दोनों ही संयुक्त खातेदार काश्तकार है तथा संयुक्त रूप से कब्जा है जिसके बंटवारे के संबंध में प्रतिवादीगण अन्नासिंह एवं बुद्धासिंह के वारिसान द्वारा काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया था जिस संबंध में वादी त्रिलोक सिंह द्वारा कोई जवाब दावा काउण्टर क्लेम प्रस्तुत नहीं किया गया तथा जवाब दावा न्यायालय द्वारा बंद किया गया जिसके विरूद्ध अपीलांट त्रिलांक सिंह द्वारा कोई चाराजोही नहीं की गई एवं न ही

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील नंबर 272/2018 त्रिलोकसिंह बनाम अन्नासिंह में कोई उज्र उठाया गया है ।

15. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को निर्णित करने हेतु अनुतोष सहित 6 तनकियात कायम की गई है ।

16. तनकी संख्याः–1– आया वादी आराजी खसरा नंबर 4846 रकबा 18–5–00 व खसरा नंबर 1844 रकबा 4–0–0 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित करवाये जाने का हकदार है ?–

17. तनकी संख्या :–2– आया वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है ?

18. तनकी संख्याः–3– आया विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 से 7 की संयुक्त सहिस्सेदारी संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है ?

19. तनकी संख्याः–4– आया वादी का वाद मियाद बाहर होकर निरस्त योग्य है ?

20. तनकी संख्याः–5– आया प्रतिवादीगण के काउण्टर क्लेम अनुसार विवादित भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस न्यायिक बंटवारे के अधिकारी है ?

21. तनकी संख्याः–6– अनुतोष ।

22. तनकी संख्या 1 व 3 एक–दूसरे से संबंधित होने के कारण इन तनकियों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है । प्रकरण में उभयपक्षों के मध्य यह स्वीकृत तथ्य है कि अजमेर थोक मालियान शामलात थोक मालियान अजमेर की तीस साला खसरा नंबर 4518/2 रकबा 18–18–6 की भूमि के चौसाला खसरा नंबर 4846 को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 9.9.1959 को अन्नासिंह, बुद्धासिंह एवं त्रिलोकसिंह पुत्रगण घीसा के द्वारा संयुक्त रूप से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया है तथा चौसाला खसरा नंबर 4844 रकबा 4–4–00 की भूमि अन्नासिंह, बुद्धासिंह व त्रिलोकसिंह पुत्रगण घीसा को संयुक्त रूप से नियमन होकर खातेदारी की भूमि है एवं राजस्व अभिलेख में त्रुटिपूर्ण एवं गलत इंद्राज से नगर सुधार न्यास, अजमेर के नाम जरिये नामांतकरण संख्या 39 दिनांक 31.1.1980 द्वारा दर्ज कर दी गई । इस त्रुटिपूर्ण नामांतकरण के विरूद्ध बुद्धासिंह का स्वर्गवास हो जाने से उनके वारिसान एवं त्रिलोकसिंह व अन्नासिंह द्वारा संयुक्त रूप से न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर के समक्ष अपील संख्या 74/2000 बउनवान बुद्धासिंह व अन्य बनाम नगर सुधार न्यास, अजमेर यह कथन करते हुए पेश की गई कि अपीलाधीन भूमियां पूर्व में नारायण पुत्र मंगला माली की खातेदारी की थी जिसके द्वारा खसरा नंबर 4518/2 रकबा 18–18–6 की भूमि जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 9.9.1959 को अन्नासिंह, त्रिलोकसिंह व बुद्धासिंह को विक्रय कर कब्जा संभलाया गया तथा क्रय दिनांक से तीनों क्रेतागण विवादित आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है । न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त, अजमेर दिनांक 22.5.2002 द्वारा तीनों अपीलांटस का अपीलाधीन भूमि में संयुक्त हक व पुराना कब्जा मानते हुए नामांतकरण संख्या 39 दिनांक 31.1.1980 विवादित भूमि की हद तक निरस्त कर तहसीलदार, अजमेर को तीनों अपीलांटस के नाम नामांतकरण स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये । न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त, अजमेर के निर्णय दिनांक 22.5.2002 के विरूद्ध नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा मान0 राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष निगरानी एल0आर0 संख्या 49/02 नगर सुधार न्यास, अजमेर बनाम बुद्धासिंह व अन्य पेश की जिसे मान0 मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 12.12.2007 द्वारा निगरानी स्वीकार कर प्रकरण पुनः अति0 संभागीय आयुक्त, अजमेर को गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया । प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने पर विद्वान अति0संभागीय आयुक्त, अजमेर ने प्रकरण पुनः दर्ज कर प्रकरण संख्या

28/08/एल0आर0एक्ट/अजमेर में दिनांक 30.4.2010 को निर्णय पारित न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा पूर्व पारित निर्णय दिनांक 22.5.2002 को यथावत् रखा गया का तथ्य उभयपक्ष स्वीकार करते है । यह भी स्वीकृत तथ्य है कि उपरोक्त आदेश के विरूद्ध पक्षकारान द्वारा कोई चाराजोही नहीं की गई जिससे अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर का आदेश दिनांक 12.5.2002 अंतिम होकर आज दिनांक प्रभावी है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी त्रिलोकसिंह द्वारा अपीलाधीन भूमि के संबंध में अपनी एकल खातेदारी घोषित कराने हेतु यह कथन कराते हुए वाद पेश किया गया है कि अपीलाधीन भूमि वादी त्रिलोकसिंह को आपसी पारिवारिक विभाजन में प्राप्त हुई है जिसमें प्रतिवादीगण बुद्धासिंह व अन्नासिंह का कोई हक व अधिकार नहीं है परन्तु इस तथ्य के संबंध में वादी द्वारा कोई भी साक्ष्य अधी0न्याया0 के समक्ष पेश नहीं की गई कि बुद्धासिंह व अन्नासिंह ने अपना 1/3, 1/3 हिस्सा त्रिलोकसिंह वादी के पक्ष में पंजीबद्ध दस्तावेज से हस्तातंरित कर दिया हो । न ही तीनों भाईयों द्वारा पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 9.9.1959 को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त कराया गया हो । पत्रावली पर ऐसा भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि खसरा नंबर 4844 रकबा 4–4–00 केवल मात्र वादी त्रिलोक सिंह को नियमन किया गया हो । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि सहिस्सेदारी की भूमि में प्रत्येक सहिस्सेदार का प्रत्येक इंच पर बराबर–बराबर हक व अधिकार व कब्जा होता है । यह भी सुस्थापित सिद्धांत है कि एक सहिस्सेदार दूसरे सहिस्सेदार के विरूद्ध एडवर्स पजेशन क्लेम नहीं कर सकता है । हम मान0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत 2010 आर0आर0डी0 पेज 748 में प्रतिपादित सिद्धांत से सहमत है एवं हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होता है । इस संबंध में जाप्ता दीवानी के आदेश 12 नियम 6 में निम्न प्रावधान हैः–

23. C.P.C. Order 12 Rule 6: Judgment on admissions.-(1) Where admissions of fact have been made either in the pleading or otherwise, whether orally or in writing, the Court may at any stage of the suit,m either on the application of any party or of its own motion and without wating for the determinantion of any other question between the parties, make such order or give such judgment as it may think fit, having regard to such admissions. इस प्रकार वादी त्रिलोकसिंह द्वारा अपने वादपत्र में एवं तीनों भाईयों द्वारा न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील में एवं पारित निर्णय अनुसार संयुक्त क्रेता होकर संयुक्त काबिज काश्तकार होना स्वीकृत तथ्य है तथा इस तथ्य को उभयपक्ष एक स्वर से स्वीकार कर रहे है । अतः उभयपक्षों की स्वीकारोक्ति के आधार पर एवं आदेश 12 नियम 6 जा0दी0 में दिये गये प्रावधानों के आधार पर अपीलाधीन भूमियों के संबंध में वादी त्रिलोकसिंह 1/3, एवं अन्नासिंह 1/3 हिस्से का एवं बुद्धासिंह के वारिसान 1/3 हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी साबित होते है ।

24. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधी0न्याया0 द्वारा तनकी संख्या 1 का निर्णय वादी के विरूद्ध किया गया है जो विधिसम्मत् है । अपीलाधीन भूमि में अन्नासिंह का 1/3 हिस्सा, बुद्धासिंह के वारिसान का 1/3 हिस्सा तथा त्रिलोकसिंह का 1/3 हिस्सा उभयपक्षों की स्वीकारोक्ति के अनुसार प्रमाणित व सिद्ध होता है। इसी अनुसार हक, खातेदारी की घोषणा पाने के अधिकारी है । इस कारण तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादीगण बुद्धासिंह के वारिसान एवं त्रिलोकसिंह के पक्ष में

निर्णित की जाती है एवं तनकी संख्या 3 उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादीगण के पक्ष में एवं वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है ।

25. तनकी संख्याः— 2— तनकी संख्या 1 व 3 के निर्णय अनुसार अपीलाधीन भूमियों में त्रिलोक सिंह का 1/3 हिस्सा, अन्नासिंह का 1/3 हिस्सा एवं बुद्धासिंह के वारिसान का 1/3 हिस्सा प्रमाणित होने से एवं इसी अनुसार घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी निर्णित होने के कारण वादी त्रिलोकसिंह अपीलाधीन भूमि के बाबत् प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । वादी त्रिलोक सिंह के 1/3 हिस्से में प्रतिवादीगण बुद्धासिंह के वारिसान व अन्नासिंह दखल व व्यवधान नहीं करने बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा एवं बुद्धासिंह के वारिसान एवं अन्नासिंह के 2/3 हिस्से में उनके उपयोग उपभोग एवं उनके हक व अधिकारों में वादी त्रिलोकसिंह दखल व व्यवधान नहीं करने बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी प्रमाणित व सिद्ध होते है । अतः तनकी संख्या 2 को वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है ।

26. तनकी संख्या :—4— यह तनकी मियाद के संबंध में है । राज0काश्त0अधी0 1955 की धारा 53 एवं धारा 88 के संबंध में कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है एवं धारा 188 राज0काश्त0अधि0 के लिये 3 वर्ष की मियाद निर्धारित की गई है । वादी त्रिलोकसिंह द्वारा अपना संपूर्ण कब्जा बताते हुए स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है जबकि अपीलाधीन भूमि तीनों भाईयों द्वारा जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र 9.9.1959 को संयुक्त रूप से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया है, तीनों सहहिस्सेदार होने से तीनों का बहिस्सा बराबर—बराबर हक व कब्जा है। तनकी संख्या 1, 2 व 3 के निर्णय अनुसार वादी प्रतिवादीगण के 2/3 हिस्से में एवं प्रतिवादीगण वादी के 1/3 हिस्से में दखल न करने बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी निर्णित किये गये है । उक्तानुसार यह तनकी निर्णित की जाती है ।

27. तनकी संख्याः—5— तनकी संख्या 1 व 3 के निर्णय अनुसार अपीलाधीन भूमियों में वादी त्रिलोकसिंह का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी अन्नासिंह का 1/3 हिस्सा एवं बुद्धासिंह के वारिसान का 1/3 हिस्सा प्रमाणित व सिद्ध होकर घोषित हुआ है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा विधिवत् काउण्टर क्लेम बाबत् बंटवारा प्रस्तुत किया गया विधि अनुसार काउण्टर क्लेम वाद स्वरूप होता है जिसका जवाब दावा वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है । जा0दी0 के आदेश 8 नियम 5 के अनुसार विरोधी पक्षकार को अभिवचन का खण्डन करना आवश्यक है । खण्डन के अभाव में अभिवचन में किये गये तथ्यों की स्वीकारोक्ति मानी जावेगी। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी के काउण्टर क्लेम का वादी द्वारा कोई जवाबदावा पेश नहीं किया गया एवं वादी त्रिलोकसिंह द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में भी काउण्टर क्लेम का जो जवाबदावा त्रिलोकसिंह का बंद किया गया था उसके संबंध में कोई भी उज्र अथवा चुनौती नहीं दी गई है । अधी0न्याया0 द्वारा गलत तौर से इस तनकी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित किया गया है तथा प्रतिवादीगण को गलत तौर से निर्देशित किया कि बंटवारे के संबंध में पृथक से वाद प्रस्तुत करे जबकि त्रिलोक सिंह के वाद में ही अन्नासिंह एवं बुद्धासिंह के वारिसान द्वारा बंटवारा बाबत् काउण्टर क्लेम यानि वाद प्रस्तुत कर दिया गया तो पृथक से वाद पेश करने का निर्णय अविधिकपूर्ण है । उपरोक्त विवेचनानुसार तनकी संख्या 5 के संबंध में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय अपास्त योग्य है एवं अपीलाधीन भूमि में वादी त्रिलोक सिंह 1/3 हिस्से का एवं बुद्धासिंह के वारिसान 1/3 हिस्से के एवं अन्नासिंह 1/3 हिस्से के बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के

बंटवारा कराने के अधिकारी पाये जाते है । अतः तनकी संख्या 5 प्रतिवादीगण के पक्ष में एवं वादी के विरूद्ध तय की जाती है ।

28. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट/वादी त्रिलोकसिंह द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 272/2018/223 (2018/00272) बउनवानी त्रिलोकसिंह बनाम अन्नासिंह व अन्य खारिज योग्य तथा अन्नासिंह बनाम त्रिलोंकसिंह अपील संख्या 276/2017/223 (2017/00276) स्वीकार योग्य होकर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.6.2016 उपरोक्तानुसार निरस्त योग्य पाया जाता है ।

29. अतः अपील अपीलांट/वादी त्रिलोकसिंह द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 272/2018/223 (2018/00272) बउनवानी त्रिलोकसिंह बनाम अन्नासिंह व अन्य खारिज किया जाता है तथा अन्नासिंह बनाम त्रिलोकसिंह द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 276/2017/223 (2017/00276) स्वीकार की जाती है तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.6.2016 उपरोक्तानुसार निरस्त किया जाता है तथा ग्राम अजमेर थोक मालियान शामलात थोक मालियान, अजमेर के तीस साला खसरा नंबर 4518/2 जिसके चौसाला खसरा नंबर 4846 रकबा 18–5–00 एवं खसरा नंबर 4844 रकबा 4–0–0 बीघा भूमि में त्रिलोकसिंह पुत्र घीसासिंह को 1/3 हिस्सा, अन्नासिंह पुत्र घीसासिंह को 1/3 हिस्से का एवं बुद्धासिंह पुत्र घीसासिंह के वारिसान 2/1 लगायत 2/6 एवं 2/7/1 लगायत 2/7/6 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार, अजमेर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे एवं त्रिलोकसिंह पुत्र घीसासिंह के पक्ष में 1/3 हिस्से का बंटवारा एवं अन्नासिंह पुत्र घीसासिंह के पक्ष में 1/3 हिस्से का बंटवारा एवं बुद्धासिंह के उपरोक्त वारिसान के पक्ष में 1/3 हिस्से का बंटवारा किये जाने के आदेश दिये जाते है । इस आशय की बंटवारे की प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है । तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो । उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को प्रकरण भेजकर निर्देश दिये जाते है कि तहसीलदार, अजमेर से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर पक्षकारान द्वारा यदि कोई आपत्ति की जाती है तो उनका निस्तारण कर अंतिम बंटवारे की निर्णय व डिक्री पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

30. निर्णय आज दिनांक 11.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर